न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

मु0नं0 – 165/2020

कृष्ण पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी चाहरवाला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी चाहरवाला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. सुरेश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी चाहरवाला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. सन्तोष पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी चाहरवाला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री तरूण मिश्रा : वादी

वकील श्री वीरेन्द्र जाखड़ : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय दिनांक : 19/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं0 93/85 के मु0नं0 10 के किला नं0 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 11 किला नं0 19 ता 23, मु0नं0 14 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10, मु0नं0 15 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 30 की 7.590 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम से 200 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा बुधराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा बुधराम के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि प्रतिवादी हरिसिंह के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन दर्ज हो गई थी। इस प्रकार वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक खातेदारी है जिसमें वादी का जन्म से हक अधिकार निहित है।

वादभूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था जिसमें वादभूमि जो चक 8 एसडीआर में स्थित है, वह वादी के हिस्सा में आ गई तथा उसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया तथा हरियाणा के गांव चाहरवाला में स्थित कृषि भूमि प्रतिवादी सुरेश के हिस्सा में आ गई जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 सुरेश के पक्ष में तर्क कर दिया। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सुरेश की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु [illegible] ल में कुल वादभूमि प्रतिवादी हरिसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने प[illegible] जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी [illegible] 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:11 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति जमाबन्दी चक 8 एसडीआर खाता सं0 93/85 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम चाहरवाला प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये व कुर्सीनामा पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक अधिकार है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 8 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो चित्रप्रति जमाबन्दी चक 8 एसडीआर खाता सं0 93/85 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा बुधराम वल्द लेखराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। कुर्सीनामा में हरिसिंह के वारिसान में दो पुत्र कृष्ण व सुरेश एवं एक पुत्री सन्तोष होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं0 93/85 के मु0नं0 10 के किला नं0 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 11 किला नं0 19 ता 23, मु0नं0 14 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10, मु0नं0 15 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 30 की 7.590 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम से 200 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी कृष्ण 200 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़